भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 499

06.02.2023 को उत्तर के लिए

शहरी अपशिष्ट का शोधन

499. सुश्री एस. जोतिमणि :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार कितनी मात्रा में शहरी अपशिष्ट उत्पन्न हुआ है;

(ख) एकत्रित किए गए अपशिष्ट, विशेषकर प्लास्टिक अपशिष्ट, जिसका निपटान से पहले उपचार किया जाता है, की मात्रा और प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ समुद्र तटों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए अभियानों का ब्यौरा क्या है और विभाग तथा इसके कार्यालयों द्वारा इस पर कितना व्यय किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में समुद्री कचरे के संबंध में अध्ययन करने और उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक विगत पांच वर्षों के दौरान उत्पन्न हुए नगरीय अपशिष्ट की मात्रा नीचे तालिका में दी गयी है :

वर्ष	उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा (टन प्रतिदिन)
2020-2021	160038.9
2019-20	150761
2018-19	152076.7
2017-18	43298.3
2016-17	119140.9

वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 95.4% ठोस अपशिष्ट एकत्रित किया गया है। वर्ष 2019-20 में उत्पन्न हुए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा 34,69,780 टन है।

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वच्छ-निर्मल तट अभियान पहल के अंतर्गत 10 तटीय राज्यों नामत: गुजरात, दमन एवं दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 75 अभिज्ञात समुद्र तटों में राष्ट्रव्यापी स्वच्छता-सह-जागरूकता अभियान आयोजित किया। भारत सरकार ने भारत की 7500 किमी लंबी तटरेखा में समुद्रतटों से 15 हजार टन प्लास्टिक अपशिष्ट हटा कर सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से महासागर की स्थिति में सुधार करने के लिए नागरिकों के नेतृत्व में 75 दिवसीय ''स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर (स्वच्छ तट सुरक्षित समुद्र)'' नामक अभियान शुरू किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में समुद्रतट स्वच्छता अभियान संचालित करने के लिए 25 लाख रूपए की धनराशि खर्च हुई थी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यक्रम आयोजित करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मिशन चरण	मिशन आबंटन (करोड़ रू. में)
एसबीएम-यू	1462.28
एसबीएम-यू 2.0	3040.30

एसबीएम के अंतर्गत शुरू किए गए आईईसी कार्यकलापों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट में विभिन्न समुद्रतटों पर समुद्री कचरे के गुणात्मक विश्लेषण के संबंध में एक अध्ययन आरंभ किया है।

समुद्री प्लास्टिक कचरे सहित प्लास्टिक अपशिष्ट को फैलाने से रोकने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 12 सिंगल यूज़ प्लास्टिक (एसयूपी) सामग्रियों को चरणबद्ध रीति से हटाने के लिए अगस्त, 2021 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में संशोधन को अधिसूचित किया गया :

क. प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर-बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस-क्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलिस्टिरीन (थर्मोकॉल);

ख. प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे फॉर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट को लपेटने या पैक करने में प्रयुक्त फिल्म, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टरर्स।

(ii) प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट, जिसे अभिज्ञात सिंगल यूज़ प्लास्टिक सामग्रियों को चरणबद्ध रीति से हटाने के लिए शामिल नहीं किया गया है, को दिनांक 16 फरवरी, 2022 को अधिसूचित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशा-निर्देशों के माध्यम से पर्यावरणीय संधारणीय तरीके से एकत्रित और प्रबंधित किया जाएगा।

(iii) दिनांक 31.12.2022 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई, 120 माइक्रोन तक बढ़ा दी गई है।

*****

अनुबंध-।

एसबीएम के तहत शुरू किए गए आईईसी कार्यकलापों का ब्यौरा

(i) **एसबीएम-शहरी के माध्मय से व्यवहार परिवर्तन** : पारम्परिक, डिजिटल, सोशल मीडिया अभियानों और गहन अंतर-वैयक्तिक संचार का उपयोग करते हुए एसबीएम-यू ने नागरिकों की सभी श्रेणियों - समुदाय स्वयं सेवकों, युवाओं, छात्रों, गृहणियों, वरिष्ठ नागरिकों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, मीडिया और उद्योग को सक्रिय बना दिया है।

(ii) **जनता के व्यवहार में परिवर्तन :** लोगों को खुले में शौच के खतरों के बारे में जागरूक करने तथा स्वच्छता और स्वास्थ्य एवं उत्पादकता के साथ इसके संबंध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनता के व्यवहार में पर्याप्त परिवर्तन लाने के लिए प्रेस, रेडियो, ऑडियो विजुअल, सिनेमा, बाहरी प्रचार, प्रदर्शनियों, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लक्षित अभियानों, आदि के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है।

(iii) **हर धडकन है स्वच्छ भारत की :** यह कार्यकलाप, नागरिकों में 'स्वच्छता गान' को लोकप्रिय बनाने पर लक्षित था। यूएलबी से शहर में कम से कम एक सर्वाधिक भीड़भाड़ वाले प्रमुख सार्वजनिक स्थल पर डिजिटल स्क्रीन पर 'स्वच्छता गान' को प्रदर्शित करने का अनुरोध किया गया था। इस कार्यकलाप को नागरिक संलग्नता संकेतक के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण, 2022 में भी शामिल किया गया है। यह कार्यकलाप, 22 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 1,117 यूएलबी द्वारा शुरू किया गया था। स्वच्छता गान को 614 डिजिटल स्क्रीनों, 626 घर-घर जाकर अपशिष्ट एकत्रण करने वाले वाहनों, 364 कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/अभिनंदन समारोहों में, 312 सोशल मीडिया पोस्ट पर, 414 अन्य प्लेटफॉर्म पर चलाया गया और यूट्यूब पर इसे लगभग 50,000 बार देखा गया था।

(iv) **एकेएएम परिधि/गोल चक्कर की ब्रैडिंग** : इस कार्यकलाप के अंतर्गत, यूएलबी से आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की भावना से शहरों में चौराहों/गोलचक्करों को अभिज्ञात करने और एकेएएम की थीम पर इन्हें खूबसूरत बनाने का अनुरोध किया गया था। इस कार्यकलाप को स्वच्छ सर्वेक्षण, 2022 में एक संकेतक के रूप में भी शामिल किया गया है। कुल 2,642 परिधियां/चौराहे/गोलचक्कर अभिज्ञात किए गए हैं, जिनमें से 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में 2,054 यूएलबी में 2,219 परिधियों/चौराहों/गोलचक्करों में एकेएएम ब्रैडिंग और सौदर्यीकरण का कार्य पूर्ण होने की सूचना मिल गई है।

*****